GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(Railway Board) रेलवे बोर्ड

No PC-V/2009/ACP/2 New Delhi, dated 29 -12-2011

The General Managers (P)
All Indian Railways & PUs

Sub: - Grant of financial upgradation under MACP Scheme.

In Board's office several references from Zonal Railways have been received seeking guidelines regarding admissibility of financial upgradations under MACP Scheme.

In this connection, attention is invited to Para-1 of Annexure to Board's letter dated 10-06-2009 (RBE No.101/2009), wherein it is mentioned that the MACP Scheme envisages three financial upgradations counted from the direct entry grade on completion of 10, 20 and 30 years of regular service respectively. Financial upgradation under the Scheme is admissible wherever an employee has spent 10 years continuously in the same Grade Pay. It is, thus, evident that 1st financial upgradation would be admissible on completion of 10 years of regular service from the date of actual joining of the post in the entry grade, 2nd financial upgradation on completion of 20 years service from the date of initial appointment or 10 years from the date of 1st financial upgradation/promotion, whichever is earlier, and 3rd financial upgradation would be admissible on completion of 30 years service from the date of initial appointment or 10 years from the date of 2nd financial upgradation/promotion, whichever is earlier, if the employee has not earned three promotions in thirty years span of regular service.

Further, the Illustration under Para-28 also demonstrates that 1st financial upgradation would be admissible on completion of 10 years of regular service from the date of actual joining of the post in the entry grade, 2nd financial upgradation on completion of 20 years service from the date of initial appointment or 10 years from the date of 1st financial upgradation/promotion, whichever is earlier, and 3rd financial upgradation would be admissible on completion of 30 years service from the date of initial appointment or 10 years from the date of 2nd financial upgradation/promotion, whichever is earlier.

It is, therefore, advised that financial upgradation under MACP Scheme may be regulated strictly as per the stipulations contained in Board's letter of even number dated 10-06-2009 (RBE No.101/2009).

(N.P.Singh)
Dy.Director, Pay Commission - V
Railway Board

भारत सरकार

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. पीसी-V/2009/एसीपी/2 नई दिल्ली, 29.12.2011

महाप्रबंधक (पी)
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां.

विषय: एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान करना।

बोर्ड कार्यालय में क्षेत्रीय रेलों से कई पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन की स्वीकार्यता के संबंध में दिशा-निर्देश मांगे गए हैं।

इस संबंध में, बोर्ड के दिनांक 10-06-2009 (आरबीई सं. 101/2009) के पत्र के अनुलग्नक के पैरा-I की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि एमएसीपी योजना में सीधी भर्ती ग्रेड से क्रमश: 10, 20 और 30 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने पर तीन वित्तीय अपग्रेडेशनों की गिनती की जाती है। कर्मचारी द्वारा एक ही ग्रेड पे में लगातार 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर इस योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन स्वीकार्य होता है। इस तरह, यदि कर्मचारी 30 वर्ष की नियमित सेवा के उपरान्त तीन पदोन्नतियां नहीं प्राप्त करते हैं तो यह स्पष्ट है कि पहला वित्तीय अपग्रेडेशन प्रारंभिक ग्रेड (Entry Grade) के पद का वस्तुत: कार्यग्रहण करने की तारीख से 10 वर्षों की लगातार सेवा पूरी करने पर स्वीकार्य होगा, दूसरा वित्तीय अपग्रेडेशन प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से 20 वर्ष अथवा पहले वित्तीय अपग्रेडेशन/प्रमोशन मिलने की तारीख से 10 वर्ष, जो भी पहले हो, की सेवा पूरी करने पर और तीसरा वित्तीय अपग्रेडेशन प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से 30 वर्ष अथवा दूसरे वित्तीय अपग्रेडेशन/प्रमोशन मिलने की तारीख से 10 वर्ष, जो भी पहले हो, की सेवा पूरी करने पर स्वीकार्य होगा।

इसके अलावा, पैरा-28 के अंतर्गत दिए गए उदाहरण में भी यह बताया गया है कि पहला वित्तीय अपग्रेडेशन प्रारंभिक ग्रेड (Entry Grade) के पद का वस्तुत: कार्यग्रहण करने की तारीख से लगातार 10 वर्षों की सेवा पूरी करने पर स्वीकार्य होगा, दूसरा वित्तीय अपग्रेडेशन प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से 20 वर्ष अथवा पहले वित्तीय अपग्रेडेशन/प्रमोशन मिलने की तारीख से 10 वर्ष, जो भी पहले हो, की सेवा पूरी करने पर और तीसरा वित्तीय अपग्रेडेशन प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से 30 वर्षों की सेवा पूरी करने पर अथवा दूसरा वित्तीय अपग्रेडेशन/प्रमोशन मिलने की तारीख से 10 वर्ष, जो भी पहले हो, स्वीकार्य होगा।

अत:, यह सलाह दी जाती है कि बोर्ड के दिनांक 10-06-2009 (आरबीई सं. 101/2009) के समसंख्यक पत्र में दी गई शर्तों के अनुसार एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन को कड़ाई से लागू किया जाए।

(एन. पी. सिंह)
उप निदेशक/वेतन आयोग- V
रेलवे बोर्ड